

श्री ए बिपिन मेनन, विकास आयुक्त (महिंद्रा विशेष आर्थिक क्षेत्र, जयपुर में भौतिक मोड) की अध्यक्षता में दिनांक 18.07.2024 को प्रातः 11:00 बजे आयोजित जयपुर विशेष आर्थिक क्षेत्र, सीतापुरा (बहु उत्पाद विशेष आर्थिक क्षेत्र) की अनुमोदन समिति की बैठक का कार्यवृत्त।

बैठक के दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अनुमोदन समिति के निम्नलिखित सदस्य उपस्थित थे:

- श्री सुरेंद्र मलिक, संयुक्त विकास आयुक्त, नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र, नोएडा
- श्री प्रवीण कुमार मित्तल, अतिरिक्त आयकर आयुक्त, जयपुर।
- श्री पी.एन. शर्मा, संयुक्त निदेशक, उद्योग विभाग, राजस्थान, जयपुर।
- शुश्री आशिमा चावला, सहायक विदेश व्यापार महानिदेशालय, जयपुर
- श्री अनिल लखानी, उप प्रबंधक, रीको, जयपुर।

(i) श्री बुद्धि प्रकाश, निर्दिष्ट अधिकारी; (ii) श्री नितिन गुप्ता, उप विकास आयुक्त, नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र, नोएडा; (iii) श्री संजय झा, वरिष्ठ आरएम (रीको); और (iv) श्री पंकज शर्मा, सहायक विकास आयुक्त भी अनुमोदन समिति की सहायता के लिए बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित थे। बताया गया कि गणपूर्ति पूरा हो गया और बैठक आगे बढ़ सकी।

अध्यक्ष ने प्रारंभ में प्रतिभागियों का स्वागत किया और फिर क्रमिक रूप से कार्यसूची पर विचार किया गया। अनुमोदन समिति के सदस्यों के बीच विस्तृत विचार-विमर्श के साथ-साथ विकासक/इकाइयों के प्रतिनिधियों/आवेदकों के साथ बातचीत के बाद, निम्नलिखित निर्णय सर्वसम्मति से लिए गए:

कार्यसूची संख्या 1: 21.06.2024 को आयोजित अनुमोदन समिति की बैठक के कार्यवृत्त का अनुसमर्थन:

यह बताया गया कि दिनांक 21.06.2024 को आयोजित अनुमोदन समिति की बैठक के निर्णयों के विरुद्ध अनुमोदन समिति/व्यापार/इकाई के किसी भी सदस्य से कोई संदर्भ प्राप्त नहीं हुआ है। इसलिए, दिनांक 21.06.2024 को आयोजित अनुमोदन समिति की बैठक के कार्यवृत्त को सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया।

कार्यसूची संख्या 2: अधिकृत वस्तुओं की व्यापक सरबंदी (क्षमता में वृद्धि) के साथ स्वीकृति पत्र के नवीनीकरण के लिए मेसर्स जेम एक्सेल का प्रस्ताव:

2.1 बैठक में मेसर्स जेम एक्सेल, प्लॉट संख्या एच-54, विशेष आर्थिक क्षेत्र -II के स्वीकृति पत्र संख्या 2-9/2004- विशेष आर्थिक क्षेत्र -II (जे) परियोजना/515 दिनांक 26.05.2004 में मदों की व्यापक सरबंदी (क्षमता वृद्धि) के साथ स्वीकृति पत्र के नवीनीकरण के प्रस्ताव पर चर्चा की गई।

2.2 श्री दिनेश मालपानी, भागीदार और श्री पी.के. मिश्रा, प्रबंधक, इकाई की ओर से अनुमोदन समिति के समक्ष उपस्थित हुए और प्रस्ताव की व्याख्या की। समिति द्वारा पूछे जाने पर, श्री मालपानी ने बताया कि इकाई आगे की कार्रवाई के लिए सही विवरण और टिप्पणियों के उत्तर के साथ संशोधित फॉर्म-एफ1 प्रस्तुत करेगी।

2.3 उचित विचार-विमर्श के बाद, अनुमोदन समिति ने इकाई के निर्यात प्रदर्शन पर गंभीरता से ध्यान दिया। हालाँकि, जापान की मेसर्स पैशन जेम्स कंपनी लिमिटेड से तूरमली के निर्यात आदेश के मद्देनजर, स्वीकृति पत्र को 18.1.2025 तक छह महीने के लिए बढ़ाकर अवसर प्रदान करने पर सहमति हुई। हालाँकि, यह विस्तार कमियों के सुधार के अधीन है। इसके अलावा, समिति ने विस्तारित स्वीकृति पत्र में केवल निम्नलिखित उत्पाद के विनिर्माण को मंजूरी दी:

क्रमांक	आईटीसी/सीपीसी कोड	वस्तु विवरण:	मीट्रिक	उत्पादन क्षमता
1.	71039951	तूरमली - काम किया	किग्रा	03

2.4 इसके अलावा, समिति ने यह भी निर्णय लिया कि जनवरी, 2025 के दौरान अनुमोदन समिति में इकाई के निर्यात निष्पादन की समीक्षा की जाएगी और यदि उक्त निर्धारित अवधि के दौरान इकाई का निष्पादन संतोषजनक नहीं पाया गया तो इकाई के विरुद्ध उचित कार्रवाई की जाएगी।

2.5 प्रस्ताव की स्वीकृति इकाई को पहले से बताई गई टिप्पणियों के सुधार के अधीन है। इकाई को 16.08.2017 के निर्देश संख्या 88 का सख्ती से पालन करना होगा। इसके अलावा, इकाई उपरोक्त उद्देश्यों के लिए बीएल्यूटी का भी क्रियान्वयन करेगी।

कार्यसूची संख्या 3: अधिकृत वस्तुओं की व्यापक सरबंदी के साथ स्वीकृति पत्र के नवीनीकरण के लिए मेसर्स मंगलम जेम्स एंड ज्वेलरी का प्रस्ताव:-

3.1 बैठक में मेसर्स मंगलम जेम्स एंड ज्वेलरी, प्लॉट संख्या एफ-89, विशेष आर्थिक क्षेत्र -II के स्वीकृति पत्र संख्या 2-127- विशेष आर्थिक क्षेत्र -II (जे) परियोजना/489 दिनांक 03.07.2006 में अधिकृत वस्तुओं की व्यापक सरबंदी के साथ स्वीकृति पत्र के नवीनीकरण के प्रस्ताव पर चर्चा की गई।

3.2 श्री अजय गुप्ता, भागीदार, और श्री आई.एस. पूनीमा, प्रबंधक, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अनुमोदन समिति के समक्ष उपस्थित हुए और प्रस्ताव को समझाया। समिति द्वारा पूछे जाने पर, उन्होंने बताया कि इकाई आगे की कार्रवाई के लिए टिप्पणियों के सही विवरण और उत्तरों के साथ संशोधित फॉर्म-एफ1 प्रस्तुत करेगी।

3.3 उचित विचार-विमर्श के बाद, अनुमोदन समिति ने सर्वसम्मति से 31.12.2024 तक स्वीकृति पत्र के नवीनीकरण के प्रस्ताव को सैद्धांतिक रूप से मंजूरी दे दी। समिति ने ज्वेल पैलेट एलएलसी, यूआई के निर्यात आदेश में उल्लिखित पथरों का पूरा नाम/विवरण प्रस्तुत करने के बाद फाइल पर अधिकृत उत्पादों के अनुमोदन के लिए विकास आयुक्त के कार्यालय को भी अधिकार दिया।

3.4 इसके अलावा, समिति ने यह भी निर्णय लिया कि दिसंबर-2024 के दौरान अनुमोदन समिति में इकाई के निर्यात प्रदर्शन की समीक्षा की जाएगी और यदि उक्त निर्धारित अवधि के दौरान इकाई का प्रदर्शन संतोषजनक नहीं पाया जाता है, तो इकाई के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी।

कार्यसूची संख्या 4: नई वस्तुओं को जोड़ने/संशोधित करने के लिए मेसर्स वैभव ग्लोबल लिमिटेड का प्रस्ताव:-

4.1 बैठक में मेसर्स वैभव ग्लोबल लिमिटेड, प्लॉट संख्या ई-1 और ई-2, विशेष आर्थिक क्षेत्र -II, सीतापुरा, जयपुर के मौजूदा स्वीकृति पत्र संख्या 2-5/2014- विशेष आर्थिक क्षेत्र -II (जे) परियोजना/1118 दिनांक 18.12.2014 में नई मर्दों को जोड़ने/संशोधित करने के प्रस्ताव पर चर्चा की गई।

4.2 श्री सुभांशु मिश्रा, प्रबंधक एवं अधिकृत प्रतिनिधि इकाई की ओर से अनुमोदन समिति के समक्ष उपस्थित हुए तथा प्रस्ताव की व्याख्या की। समिति द्वारा पूछे जाने पर उन्होंने बताया कि इकाई आगे की कार्यवाही के लिए सही विवरण तथा टिप्पणियों के उत्तर के साथ संशोधित फॉर्म-एफ3 प्रस्तुत करेगी।

4.3 उचित विचार-विमर्श के बाद, अनुमोदन समिति ने निम्नलिखित को छोड़कर, विश्वसनीय निर्यात निष्पादन और इकाई द्वारा दिए गए निर्यात आदेशों के आधार पर मदों के जोड़/संशोधन के प्रस्ताव को सर्वसम्मति से मंजूरी दे दी:

क्रमांक	आईटीसी/सीपीसी कोड	वस्तु विवरण:	मीट्रिक	उत्पादन क्षमता
1.	71141110	चांदी की वस्तुएं/बर्तन	किग्रा	30.00
2.	71141910	सोने की वस्तुएं/बर्तन	किग्रा	20.00
3.	71141920	प्लैटिनम की वस्तुएं/बर्तन	किग्रा	1.00
4.	71142020	आधार धातु की वस्तुएं/बर्तन	किग्रा	50.00

4.4 निर्यात निष्पादन और प्रदान किए गए निर्यात आदेशों को ध्यान में रखते हुए, अनुमोदन समिति अपेक्षित विवरण के साथ निम्नलिखित उत्पादों को शामिल करने पर सहमत है: -

क्रमांक	आईटीसी/सीपीसी कोड	वस्तु विवरण:	मीट्रिक	उत्पादन क्षमता
1.	71141110	चांदी की मूर्तियाँ	किग्रा	30.00
2.	71141910	सोने की मूर्तियाँ	किग्रा	20.00
3.	71141920	प्लैटिनम मूर्तियाँ	किग्रा	1.00
4.	71142020	आधार धातु मूर्तियाँ	किग्रा	50.00
5.	97039010	अन्य धातु की मूर्तियाँ	किग्रा	30.00

4.5 यह मंजूरी इकाई को पहले से दी गई टिप्पणियों में सुधार के अधीन है। इकाई को विभाग वाणिज्य द्वारा जारी विदेश व्यापार नीति 2015-20 से संबंधित निर्देश संख्या 88 दिनांक 16.08.2017 का सख्ती से पालन करना होगा। इसके अलावा, इकाई हीरे से जड़े चांदी के आभूषणों की संभालने के संबंध में विकास आयुक्त, नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र, नोएडा के कार्यालय द्वारा पत्र संख्या 1158 दिनांक 31.01.2023 द्वारा जारी मानक संचालन प्रक्रिया का भी पालन करेगी। घरेलू प्रशुल्क क्षेत्र से आयात के लिए प्रतिबंधित उत्पादों जैसे कोरल आदि की स्रोत की अनुमति नहीं दी जाएगी और यह सीआईटीईएस की शर्तों के अधीन होगा। इसके अलावा, उचित अनुमोदन/लाइसेंस के बिना प्रतिबंधित/निषिद्ध वस्तुओं के निर्यात की अनुमति नहीं दी जाएगी। इकाई उपरोक्त उद्देश्यों के लिए बांड सह कानूनी उपक्रम भी निष्पादित करेगी।

5. मौजूदा स्वीकृति पत्र में इकाई का नाम बदलने का प्रस्ताव: -

5.1 बैठक में मेसर्स ज्वेलम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, प्लॉट नंबर एच-62(ए), विशेष आर्थिक क्षेत्र-II, सीतापुरा, जयपुर के मौजूदा स्वीकृति पत्र नंबर 1-6/2021-22- विशेष आर्थिक क्षेत्र-II (जे) परियोजना/143 दिनांक: 13.05.2022 में इकाई का नाम बदलने के प्रस्ताव पर चर्चा की गई। इकाई का स्वीकृति पत्र 12.05.2025 तक वैध है।

5.2 इकाई ने अपने नाम में परिवर्तन के लिए नीचे दिए अनुसार आवेदन किया है:

क्रमांक	मौजूदा इकाई का नाम	संशोधित इकाई का नाम
1.	मेसर्स ज्वेलम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	मेसर्स ज्वेल्स आर्टिसन प्राइवेट लिमिटेड

5.3 उचित विचार-विमर्श के बाद, अनुमोदन समिति ने वाणिज्य विभाग द्वारा जारी निर्देश संख्या 109 दिनांक: 18.10.2021 के अनुसार इकाई के नाम परिवर्तन के प्रस्ताव को सर्वसम्मति से मंजूरी दे दी।

धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक समाप्त हुई।


(ग्या प्रसाद)
उप विकास आयुक्त


(ए. बिपिन मेनन)
विकास आयुक्त